

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 120 / 2015

आर.सी.टी.नं. 102 / 2015

संस्थित दिनांक 18.03.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी,
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. काशीराम पिता रघुनाथ खराडी, आयु 45 वर्ष,
निवासी ग्राम कुंदामाल थाना ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0।

-----अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक - श्री एच.सी. बंसल ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 25.05.2018 को घोषित)

अभियुक्त पर धारा 498-ए,323,506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उसने दिनांक 17.12.2014 को समय दोपहर 02:00 बजे,स्थान-फरियादी का घर जसुपुरा,कुंदामाल में फरियादी धुंधरीबाई के पति होते हुए फरियादी धुंधरीबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की,फरियादी को चाकू से बोथरी वस्तु से मारकर स्वैच्छया उसे उपहति करत की तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आरोप है।

2. अभियुक्त व फरियादी धुंधरीबाई के मध्य अंतर्गत धारा 323,506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है, जबकि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.सं. में विचारण जारी रखा गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 17.12.2014 को दोपहर 02:00 बजे फरियादी का पति काशीराम शंका कर अश्लील गाली गलौच करने लगा तथा चाकू उठाकर हाथ के अंगुंठे के पास मार दिया। जिससे उसे चोट

लगी तथा लकड़ी उठाकर पीठ में दाहिने पैर की जांघ पर और बाये पैर पर मारकर चोटे पहुंचायी। उसकी लड़की रूकमाबाई और लच्छीराम ने बीच बचाव किया था। उसका पति काशीराम उसे बोला कि, उसके घर से चली जा नहीं हो किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। फिर वह अपने भाई पिटू के घर पंचायतपुरा फल्या ग्राम कुंदामाल गई तथा भाई पिटू व भाभी मंगलाबाई को पूरी बात बतायी व परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर बातचीत की। उसके बाद अपने भाई पिटू व भाभी को साथ लेकर घटना की रिपोर्ट करने गयी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रं0 309/2014 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, आहत् का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498-ए, 323, 506 भाग-2 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया। धारा 323, 506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो गया है। धारा 498-ए भा.द.सं. में विचारण जारी है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.12.2014 को समय दोपहर 02:00 बजे, स्थान-फरियादी का घर जसुपुरा, कुंदामाल में फरियादी धुंधरीबाई के पति होते हुए फरियादी धुंधरीबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में धुंधरीबाई (अ.सा.1) व आर.एस. गणावा (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्विवादित तथ्य यह है कि, फरियादी/आहत् एवं अभियुक्त के मध्य हुये राजीनामा के परिणामस्वरूप फरियादी/आहत् द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित भा.द.वि. की धारा 323, 506 भाग-2 के अपराध का शमन किया गया है। परिणामतः उक्त धाराओं के आरोप से अभियुक्त को दिनांक 12.04.2017 को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त का विचारण केवल भा.द.वि. की धारा 498ए के आरोप के लिये किया जा रहा है।

8. इस संबंध में विचार करने पर फरियादी धुंधरीबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि, अभियुक्त उसका पति है, घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन उसका उसके पति से विवाद हुआ था, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उसे पुलिस थाना ठीकरी पर की थी जिस पर उसने निशानी अंगूठा किया था। पुलिस ने उसे ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था, पुलिस को उसने प्र.पी. 2 का घटना स्थल बताया था, पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान नहीं लिये थे। इसी प्रक्रम पर अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये तथा फरियादी साक्षी के द्वारा अभियोजन के इन सुझावों से इंकार किया है कि, उसका पति उसके चरित्र पर शंका करता है और इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्त ने घटना वाले दिन उसके हाथ के आंगुंठे पर चाकू मार दिया था तथा अभियुक्त ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की थी तथा यह भी अस्वीकार किया है कि, अभियुक्त चरित्र शंका की बात को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करता रहता है तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र.पी. 1 में लिखायी गयी बात तथा पुलिस को दिये गये अपने कथन प्र.पी. 3 में बताया थी। फरियादी के द्वारा अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, फरियादी/साक्षी का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है तथा वह कोई पिछले कई दिनों से अभियुक्त के साथ उसके घर पर निवास कर रही है। इस बात से इंकार किया है कि, राजीनामा हो जाने के कारण घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रही है।

9. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के किये गये प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि, अभियुक्त के द्वारा उससे दहेज की कोई मांग नहीं की है और दहेज के कारण उसने साक्षी को कभी परेशान नहीं किया तथा उसने अपनी रिपोर्ट में दहेज के संबंध में कोई बात नहीं लिखायी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उनकी जाति समाज में दहेज की प्रथा नहीं है बल्कि समाज के अनुसार लडके वाले लडकी के मां बाप को करार के अनुसार रुपये देते हैं। इस बात को भी स्वीकार किया है कि, दहेज के कारण उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और अभियुक्त की खेती बाड़ी है और किराणा दुकान भी है उसको अच्छी आमदनी होती है। अतः साल भर में 3-4 लाख रुपये कमाता है।

10. इस प्रकार फरियादी साक्षी धुंधरीबाई (अ.सा.1) ने अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

11. साक्षी आर.एस. गणावा (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 23.12.2014 को पुलिस थाना ठीकरी पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे थाने के अपराध क्रं. 309/15 अंतर्गत धारा 498-ए, 323, 506 भा.द.सं. की केस डायरी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक पी.एस.

इंगले से प्राप्त हुयी थी। उनके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटना स्थल पहुंचकर फरियादी धुंधरीबाई की निशादेही से प्र.पी. 2 का नक्शामौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही फरियादी धुंधरीबाई तथा साक्षी पिटु के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 24.12.2014 को अभियुक्त काशीराम को गिरफ्तार कर प्र.पी. 03 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त काशीराम के पेश करने पर एक लकड़ी को जप्त कर प्र.पी. 4 का जप्ती पंचनामा बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान के दौरान उनके द्वारा साक्षीगण मंगलाबाई,रुखमणीबाई,हिमु,एरांग,शिवराम एवं लच्छीराम के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष द्वारा किये गये साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सभी सुझावों को अस्वीकार किया है।

12. प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत धुंधरीबाई (अ.सा.1), के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में ऐसा अभिकथित नहीं किया है कि, अभियुक्त ने घटना दिनांक को फरियादी/आहत धुंधरीबाई के पति होते हुए फरियादी धुंधरीबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की। इसके विपरित साक्षी ने घटना दिनांक को फरियादी/आहत धुंधरीबाई के पति होते हुए फरियादी धुंधरीबाई को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कुरता कारित की जाने संबंधित अभियोजन कहानी से पूर्णतः भिन्न कथन किये हैं। अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता के कथन कराये गये, किन्तु फरियादी आहत साक्षी धुंधरीबाई (अ.सा.1) द्वारा अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस कारण प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के कथनों पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. अभियोजन का यह दायित्व है कि, वह आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। वर्तमान मामले में अभियोजन के मामले का स्वयं आहत धुंधरीबाई ने समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में अन्य साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त दोषमुक्ती का पात्र हो गया है। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त काशीराम पिता रघुनाथ को भा.द.सं. की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं,

15. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

// 5 //

आप. प्रकरण कमांक 120 / 2015

आर.सी.टी.नं. 102 / 2015

संस्थित दिनांक 18.03.2015

16. प्रकरण में जप्तशुदा एक बबुल की लडकी एवं चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये। जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रे, प्रथम श्रेणी,
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.